

In the High Court of Judicature at Patna.

(Miscellaneous Judicial Jurisdiction)

M.J.C.No. _____ of 2013.

Manti Kumari Petitioner

Versus

The State of Bihar and others..... Opposite Parties

Subject:- Contempt Matter.

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages
1.	Petition under Article 115 of Constitution of India read with Section 12 of Courts of Contempt Act.	1 to 17
2.	Annexure-1: A true copy of order dated 5.10.2012.	18
3.	Annexure-2: A true copy of Training Certificate.	19
4.	Annexure-3: A true copy of Letter dated 2.5.2008.	20
5.	Annexure-4: A true copy of order dated 9.11.2009 in C.W.J.C.No.14132 of 2009.	21
6.	Annexure-5: A true copy of Affidavit dated 19.4.2010.	22-23

(11)

Sl.No.	Particulars.	Pages.
7.	Annexure-6: A true copy of petition dated 26.10.2008.	24
8.	Annexure-7: A true copy of order dated 19.4.2010.	25-31
9.	Annexure-8: A true copy of order dated 14.07.2011.	32-36
10.	Annexure-9: A true copy of order dated 04.08.2011.	37
11.	Annexure-10: A true copy of representation dated 16.10.2012.	38-39
12.	Vakalatnama of the petitioner.	

-/o/-

34/

REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

₹ 5.3.13

Authorization No. 2674



INDIA

00000

Rs ≈ 0000035 ≈

375448

JUDICIAL

-5.3.2013

BIHAR

3079 63665E

In the High Court of Judicature at Patna.

(Miscellaneous Judicial Jurisdiction)

M.J.C.No. _____ of 2013.

In the matter of an
application under Article
115 of the Constitution of
India read with Section 12
of Court of Contempt Act.

And

In the matter of :-

Manti Kumari wife of Arbind Kumar Yadav, Resident
of Village-Panchgachhiya, Police Station-Murliganj,
District-Madhepura..... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar.

2. Bimla Nand Jha, the Commissioner, Koshi Division,
Saharsa.
3. Upendra Kumar Collector-Cum-District-Magistrate,
Madhepura.
4. Sharwan Kumar Pansari Deputy Development Commissioner,
Madhepura.
5. Gulam Mustafa Ansari District Programme Officer,
Madhepura.
6. Pushpa Kumari, Child Development Project Officer,
Murliganj, District-Madhepura.
7. Deauty Kumari @ Kumari Beauty Wife of Randhir Kumar
Rana, Resident of Village-Panchgachhia, Ward No.14,
Police Station Murliganj, District-Madhepura.

..... Opposite Parties.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit,
the Chief Justice of the High Court of

Judicature at Patna and her Companion

Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on
behalf of the petitioner
abovenamed;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for initiating contempt proceeding against Opposite Parties for non compliance of order dated 5.10.2012 passed by Hon'ble Mr. Justice Prakash Chandra Verma in C.W.J.C.No.14378 of 2011 whereby Hon'ble Court directed the Director, Integrated Child Development Scheme, Bihar, Patna to decide the appeal filed by the petitioner within one month from the date of receipt production of Certified copy of the order.

A true copy of the order
dated 5.10.2012 is annexed
herewith and marked as Annexure
'1' to this application.

2. That the petitioner is the daughter-in-law of Village-Naugachhia which comes in Anganwari Centre Panchgachhia.
3. That in the year 2007 there was an advertisement for selection of Anganwari Sevika at Anganwari Centre Panchgachhia.
4. That petitioner as well as two other candidates namely Nilu Kumari and Veena Devi applied for the said post but Opposite party No.7 Deauty Kumari never applied for the said post.
5. That on 21.6.2007 a meeting of Aam Sabha was held and considered on the point of anganwari Sevika, in which two other candidates Nilu Kumari and Veena Devi could not produced their original Educational marksheet and certificates and on that basis their candidature have been cancelled by the Aam Sabha.

6. That only one candidate has been remained for the post of Anganwari Sevika i.e. petitioner and accordingly the petitioner was selected to the post of Anganwari Sevika by the Aam Sabha on 21.6.2007.

7. That thereafter the petitioner has been sent on Training by the order of concerned authority and accordingly she took training from 25.6.2007 to 30.6.2007.

A true copy of Training Certificate is annexed here with and marked as Annexure- '2' to this application.

8. That after getting training the petitioner joined on 1.7.2007 to the post of Anganwari Sevika at Anganwari Centre Panchgachhia.

9. That the petitioner has been discharg-

-ing her duty as Anganwari Sevika to the satisfaction of authority concerned regularly and very delegently and there was no complain against her.

10. That in the mean time the Child Development Project Officer, Murliqanj, Madhepura sent a letter dated 2.5.2008 to Bihar School Examination Board for verification of Marksheet of the petitioner and after verification it was found correct.

A true copy of letter dated 2.5.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-'3' to this application.

11. That one Kumari Beauty Opposite Party No. 7 filed C.W.J.C.No.14132 of 2009 before Hon'ble High Court against selection of petitioner after more than

two years and the Hon'ble Court vide order dated 9.11.2009 disposed of the writ application direction to the petitioner to file representation before District Programme Officer who shall decide the matter within three months.

A true copy of order dated 9.11.2009 in C.W.J.C.No.14132 of 2009 is annexed herewith and marked as Annexure-'4' to this application.

12. That in pursuant to Hon'ble Court direction the Opposite party No.7 Beauty Kumari gave representation to District Programme Officer, who issued notice to the Opposite Party No.7, petitioner, C.D.P.O. and Ward Parshad.

13. That Ward Parshad gave an Affidavit that the petitioner was selected as Anganwari Sevika in

accordance with law since Opposite Party No.7 never applied for the post of Anganwari Sevika and he further stated that in heavy Koshi Area Flood in the District of Madhepura specially Murliganj in the year 2008 all original records regarding selection of Anganwari Sevika has been destroyed and the Photo copy of the same is already available in the office of C.D.P.O.

A true copy of Affidavit dated 19.4.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-'5' to this application.

14. That it is relevant to state here that said Nagar Parshad gave a petition to the Officer-in-charge of Murliganj Police Station on 26.10.2008 regarding destroy of all documents in heavy flood and accordingly S.D.E.No.07 dated 1.11.2008 was entered by the Officer-incharge.

A true copy of the petition dated 26.10.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-'6' to this application.

15. That after considering all the facts the District Programme Officer vide Order dated 19.4.2010 rejected the claim of Opposite Party No.7 and restore the appointment of the petitioner to the post of Anganwari Sevika.

A true copy of order dated 19.4.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this application.

16. That then Opposite Party No.7 filed a petition before District Magistrate, Madhepura, then the District Magistrate, Madhepura vide order dated 14.7.2011

cancelled the appointment of the petitioner to the post of Anganwari Sevika and directed to proceed fresh Selection of Anganwari Sevika.

A true copy of order dated 14.7.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-'8' to this application.

17. That then the petitioner filed Misc. Appeal No.53 of 2011 before Commissioner, Koshi Division Saharsa who vide order dated 4.8.2011 did not consider the case of petitioner and passed an order that there is no need of interference with the District Magistrate's order and not admitted the appeal filed by the petitioner.

A true copy of order dated 4.8.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-'9' to this application.

18. That the Case of the petitioner has not been considered by the Respondent authority and cancelled her appointment after doing four years service.

19. That the Opposite Party No.7 produced forge and fabricated documents before District Magistrate who released upon said documents and passed impugned order.

20. That all documents produced by the Opposite Party No. 7 relating to appointment of Anganwari Sevika is forge and fabricated and she did not disclose this fact that from where she obtained said documents nor any authority has supported the genuineness of said documents.

21. That Opposite Party No.7 levelled allegation that the petitioner was selected on the basis of Madhyama Certificate which was found forge after verification, it is totally wrong and incorrect, the petitioner never appointed on the basis of Madhyama Certificate since she was appointed on the basis of Matric Certificate obtained

from Bihar School Examination Board which was verified and found correct.

22. That the Opposite Party No.7 levelled further allegation that she was the fourth candidate of Anganwari Sevika but her candidature has not been considered in spite of she obtained highest marks than the petitioner it is totally wrong and incorrect, Opposite Party No.7 never applied for the post of Anganwari Sevika which was supported by Ward Parshad and C.D.P.O. as well as District Programme Officer.

23. That the appointment of the petitioner on 21.6.2007 but Opposite Party No.7 never objected in the Aam Sabha nor she complained to the Higher authorities at that time and after more than two years she filed writ application before Hon'ble High Court.

24. That Hon'ble High Court gave direction to the District Programme Officer to decide the matter and District Programme Officer after hearing all the

parties, perusing all documents not found any illegality in Selection of Anganwari Sevika and demand the claim of Opposite Party No.7.

25. That Opposite Party No. 7 as per R.T.I. Act asked to supply the copy of proceeding of Selection of Anganwari Sevika from C.D.P.O. and same has been supplied to her but it appears from said proceeding that only three candidate namely Nilu Kumari, Manti Kumari and Veena Devi applied but the name of Opposite Party No. 7 is not appeared as applied candidate which shows that the Opposit Party No. 7 never applied for the said post.

26. That knowing this fact the her name is not appeared in proceeding as applied certificate, the Opposite Party No. 7 has not brought the aforesaid document earlier before Hon'ble High Court or any stage but aforesaid documents is available in the record of Collector.

27. That but Opposite Party No.2 and 3 have not considered the case of the petitioner have not perused the records properly and relied on the forge document of Opposite Party No.7.

28. That the petitioner filed C.W.J.C.No.14378 of 2011 before Hon'ble High Court. The Hon'ble Court has been pleased to direct the Director, Integrated Child Development Scheme, Bihar, Patna to decide the appeal filed by the petitioner within one month from the date of receipt/production of a certified copy of this order.

29. That in pursuant to aforesaid direction petitioner filed representation dated 16.10.2012 before Director, I.C.D.S., Bihar, Patna alongwith certified copy of order requesting decide the matter.

A true copy of representa-
-tion dated 16.10.2012 is
annexed herewith and marked
as Annexure-10 to this petition

30. That now more than four months have passed after giving representation but authority concern has not passed any order and kept the matter pending till date.

31. That the impugned order passed by Opposite Party No.2 and 3 are arbitrary, malafide, malicious and contrary to the law.

32. That there is great violation of Hon'ble High Court direction hence a contempt proceeding may kindly be initiated against them.

33. That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Court in the instant matter.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue notice to Opposite Parties and after hearing the parties be pleased to initiate

-16-

contempt proceeding against Opposite parties for non compliance of Hon'ble High Court direction and to punish them and/or pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Manti Kumari aged about 45 years Wife of Arbind Kumar Yadav, resident of Village-Panchgachhiya, Police Station-Murliganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made therein are true to my knowledge and belief.
3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

मन्ती कुमारी



COURT FEE

Rs. 0000002

AUTH NO. 3185 DT. 11/6/12/2008

Issued for Certification

Patna High Court

9721956

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.14378 of 2011

1. Manti Kumari W/O Arbind Yadav R/O Vill.- Panchgachhiya, Police Station- Murliganj, Distt.- Madhepura

Versus

1. The State Of Bihar
2. The Commissioner, Koshi Division, Saharsa
3. Collector-Cum-District Magistrate, Madhepura
4. Deputy Development Commissioner, Madhepura
5. District Programme Officer, Madhepura
6. Child Development Project Officer, Murliganj, Distt.- Madhepura
7. Beauty Kumari @ Kumari Beauty W/O Sandhir Kumar Rana R/O Vill.- Panchgachhia, Ward No.- 14, Police Station- Murliganj, Distt.- Madhepura

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Uday Chand Prasad
For the Respondent/s : Mr. Prashant Pratap Gp6

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE PRAKASH CHANDRA VERMA
ORAL ORDER

4 05-10-2012

The instant writ petition has been preferred by the petitioner to reinstate her on the post of Anganwari Sevika at Centre No. 13.

The Director, Integrated Child Development Scheme, Bihar Patna is directed to decide the appeal of the petitioner within one month from the date of receipt/production of a certified copy of this order.

With the above direction, the writ petition is disposed of.

Sd/-
(Prakash Chandra Verma, J)

CERTIFIED TRUE PHOTO COPY

For Joint Registrar (J)
Patna High Court

Authorized T/S YK ... of 1977

Manti
11/10/2012
22/6/19/38

18

Annexure-2


कार्यालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज (मधेपुरा)

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

ज्ञापांक.३२६.....

दिनांक.३:०७:०७...

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मानती कुमारी
 पति श्री अशुविन्द कुमार थाहव आंगनबाड़ी
 सेविका/सहायिका केन्द्र पंचशाहिदा नगर पंच मुरलीगंज बाल विकास
 परियोजना मुरलीगंज (मधेपुरा) ने बाल विकास
 परियोजना कार्यालय, मुरलीगंज द्वारा संचालित दिनांक २५:०६:०७
 से ३०:०६:०७ ... तक चार दिवसीय/छः दिवसीय प्रशिक्षण (इन्डक्शन कोर्स)
 में भाग लेकर सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया।


 03/07/07
 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
 मुरलीगंज, (मधेपुरा)

90

इ ने व स पर " 3 "

पत्रांक 160/दिनांक 02-05-08

प्रेषक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
मुरलीगंज ः मधेपुरा ः

सेवा में सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
पटना।

विषय: - तदवधानित ऑगनबाड़ी सेविका के प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में
महाशय,

उस संबंध में कहना है कि बाल विकास परियोजना मुरलीगंज
ः मधेपुरा ः अन्तर्गत श्रीमती मानती कुमारी पिता श्री जागेवर प्रसाद पाण्डे
का चयन ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में किया गया है जिसका शील्ड कोड-
4408 प्रमाणिक 0111 प्राप्तिक 386 ः 3 ः उत्पिना वर्ग 1985 में राजकीयकृत
सियाराम उच्च विद्यालय जगवनी ः मधेपुरा ः से शामिल हुई है। जीपसे अनुरोध
है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से इसकी सत्यता की
जांच कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरलीगंज ः मधेपुरा ः को सूचित
करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :-

- 1. मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति - 1 ः एक ः
- 2. मूल अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति - 1 ः एक ः

विश्वासभाजन

20 अक्टूबर

2-5-06

बालविकास परि० पदा०

मुरलीगंज ः मधेपुरा ः

22
21

Annexure-'4'

In the High Court of Judicature at Patna.

C.W.J.C.No.14132 of 2009

Kumari Beauty-Versus-The State of Bihar & others.

09.11.2009 Heard learned counsel for the petitioner and the State.

The petitioner has assailed the selection of Respondent No.10 on the post of Anganbari Sevika in preference to the petitioner.

In view of the availability of appropriate remedy before the District Programme Officer, the writ application is disposed with observation that if so advised the petitioner may prefer an application before the District Programme Officer within 30 days from to-day. Only in that regard the District Programme Officer shall be required to decide the matter after hearing all connected including Respondent No.10 within a maximum period of three months from the date of the receipt of representation of the application.

The writ application stand disposed.

Sd/-(Navin Sinha, J).

इ ने व स चर " 5 "

सम्त ,
नोटरी पब्लिक ,
मधेपुरा ।

शपथ पत्र

मै स्वैत कमल उर्फ बीजा जी पिता प्रकाश नारायण यादव
वा फिन बाई फर्ड नगर पंचायत मुरलीगंज बाई नं०-14,
थाना मुरलीगंज जिला मधेपुरा धर्म से शपथ पूर्वक निम्नांकित
बयान करता हूँ -

1. यह कि आरोपकर्ता छपूटी कुमारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र गंगकल्या
बाई नं०-14 के आंगनबाड़ी सेविषा पद हेतु कोर्ड आवेदन समर्पित नहीं
किया गया और नहीं मेरे द्वारा छपूटी कुमारी के प्रमाण पत्र की जांच किसी
विद्यालय से कराया गया ।
2. यह कि आरोपकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी सेविषा पद हेतु आवेदन समर्पित
किया जाता एवं आम सभा मे इनके आवेदन पत्र पर कोर्ड बिचार नहीं किया
जाता हो इसका विरोध तुरंत आम सभा मे ही करना चाहिए था एवं
इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देनी चाहिए था न कि काफी अन्तराल
के बाद आरोप समर्पित किया जाता ।
3. यह कि उक्त गाँवगाड़ी केन्द्र हेतु कुल तीन आवेदन प्राप्त हुआ जिसके
आयुक्त में वचन समिति द्वारा विधिवत मानती कुमारी का वचन आंगनबाड़
सेविषा पद पर किया गया ।
4. यह कि वचन से संबंधित सभी प्रकार के पंजी एवं कागजात की मूल प्रति
मेरे पास था एवं छाया प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय, मुरलीगंज
को समर्पित किया गया ।

25
213

2.

5. यह कि वर्ष अगस्त, 2008 में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण सभी मूल पंजी एवं कागजात नष्ट हो गया है।
6. यह कि बाल विकास परिषोजना कार्यालय में समर्पित पंजी एवं कागजात की जाति प्रति अभिमानागत कर शीमान के अवलोकन हेतु समर्पित कर दिया है जो सत्य एवं सही है।
7. यह कि आरोपकर्ता ब्यूटी कुमारी का आरोप निराधार एवं सत्य से करे है।
8. यह कि आरोपकर्ता द्वारा जो कार्यवाही एवं अन्य कागजात की जाया प्रति शीमान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधुपुरा को समर्पित किया गया है। वह अनिश्चित सेविणको पसंने के उद्देश्य से जमा किया गया है जो गलत है।
9. यह कि आरोपकर्ता की जाया प्रति कहा से उपलब्ध कराई गई है एवं किस पदाधिकारी के कार्यालय स लिया गया है इसका कोई ठोस एवं कारगर सबूत नहीं पेश किया गया है।

10 यह कि सत्य को उजागर करने के लिए यह शपथ पत्र बनारहा हूँ
मैं श्वेत कमल उर्फ बोआजी पुनः धर्म से शपथ पूर्वक एकरार
करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित सारी बातें मेरी निजी
जानकारी में सत्य एवं सही है जिसे सही प्रकार अपना हस्ताक्षर

बना दिया ।

श्वेत कमल कुमल

शपथकर्ता

36
24

इ ने क स चर '6'

सेवा में,

श्रीमान् श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
मुरलीगंज, मधेपुरा ।


विषय :- आंगनबाड़ी केन्द्र की मूल कार्यवाही पंजी एवं अन्य कागजात
दस्तावेज इत्यादि सामान अतिग्रस्त हो जाने के संबंध में ।

महाशय, निवेदन के साथ उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि मैं बार्ड
पार्षद नगर पंचायत मुरलीगंज वार्ड नं०-14 टोला पंचगछिया का हूँ। मुरलीगंज
नगर पंचायत में दिनांक 21-8-2008 को रात्रि लगभग 3.00 बजे को महा
पृ लंघकारी बाढ़ आ गई थी । जिससे कारण हमलोगों को अधानक
जान बचाकर जखोड़कर भागना पड़ा। जब बाढ़ का पानी तीन महीने
बाढ़ रहने पर हमलोग घर वापस आये तो घर में कागजात एवं अन्य
सामान पानीमें भीगकर नष्ट हो गया था जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र पंचगछिया
बार्ड नं०-14 मुरलीगंज का कार्यवाही पंजी की मूल प्रति एवं अन्य कागजात
दस्तावेज सामान आदि भी सामिल था। इसकी जानकारी में श्रीमान् की
दे रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि मेरे आवेदन को स्वीकृत करने की
कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का आभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

अचेल कमल, नगरपार्षद बार्ड नं०-14
मुरलीगंज नगरपंचायत दिनांक 26-10-08




प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तिथि Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तिथि Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	<i>Annexure</i> अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तिथि Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तिथि, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तिथि Date of making over the copy to the applicant.
		= 6 =		

आदेश

आवेदिका कुमारी ब्युटी पति रणधीर कुमार राणा नगर पंचायत, मुरलीगंज वार्ड नं०-14 के सी०ड०ब्लू०के०वी० नं०- 14132/09 कुमारी ब्युटी बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9-11-09 को पारित आदेश के आलोक में एक आवेदन समर्पित कर निवेदन किया है कि मुरलीगंज नगर पंचायत वार्ड नं०-14 स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र पंचगनी उद्या केन्द्र संख्या-10 पर आंगनवाड़ी लेखिका पद पर चयन हेतु मैं भी आवेदन समर्पित हूँ जो लेखन चयनित लेखिका मानती कुमारी का चयन वाली प्रमाण पत्र के आधार पर चयन समीक्षक द्वारा किया गया।

आवेदन के आलोक में आरोपकर्ता कुमारी ब्युटी एवं चयनित लेखिका मानती कुमारी कोसल कार्यालय के द्वारा दिनांक 11.6। दिनांक 4-12-09 द्वारा नोटीस करते हुए दिनांक 19-12-09 को अपने अपने दावे के समर्थन में सभी कागजात के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज को निर्देशा दिया गया कि चयन से संबंधित सभी कागजात के साथ निर्धारित तिथि को समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें।






प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 7 =		

निर्धारित तिथि को आरोपकर्ता कुमारी ब्युटी उपस्थित होकर अपना लिखित कथन समर्पित किया जिसमें अंकित है कि आंगनवाड़ी केन्द्र पंचगीछिया मुरलीगंज नगर पंचायत वार्ड नं०-14 आंगनवाड़ी केन्द्र सं०-10 पर सेविका चयन हेतु मैं भी आवेदन समर्पित की थी दिनांक 21.6.07 को उक्त केन्द्र पर सेविका चयन हेतु आम तन्हा आयोजित हुई जिसमें कुल चार आवेदिका उपस्थित हुई। जिसमें मानती कुमारी द्वारा मध्यमा उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया जिसमें कुल प्राप्तांक 70% था कि 70.00% दिखाया गया। इस आधार पर मानती कुमारी का चयन किया गया, जबकि वे मध्यमा से कभी उत्तीर्ण नहीं हुई हैं। इस प्रकार इसके बाद मेरा चयन किया जाना था जो चयन समिति द्वारा नहीं किया गया। आरोपकर्ता द्वारा चयन से संबंधित कार्यवाही की छाया प्रतिलिपि संलग्न किया गया।

चयनित सेविका मानती कुमारी का दावा है कि आंगनवाड़ी केन्द्र पंचगीछिया वार्ड नं०-14 केन्द्र सं०-10 पर सेविका चयन हेतु मैं भी आवेदन समर्पित की थी। चयन समिति द्वारा विधिवत् विभागीय प्रावधान के आलोक में मेरा चयन सेविका पद पर किया गया। आरोपकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप

/



4 पैसे

3

भारत
TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 8 =		

गत है कि येजाली प्रमाण पत्र संलग्न कर चयन करवा ली है। मैं वर्ष 1985 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से मैट्रिक तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण की है जिसमें मेरा प्राप्तांक- 386 है। आरोपकर्ता द्वारा दिखाया जा रहा कार्यवाही पंजी की छाया प्रतित सही नहीं है एवं यह कार्यवाही पंजी की छाया प्रतित कहां से प्राप्त हुआ है इसका कोई उल्लेख आरोपकर्ता द्वारा नहीं किया गया है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा चयन से संबंधित कार्यवाही पंजी एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतित दिखाया गया एवं बताया गया कि कार्यालय में चयन से संबंधित कार्यवाही पंजी एवं अन्यदस्तावेजों की छाया प्रतित ही सुरक्षित है। वृंकि वार्ड पार्स द्वारा छाया प्रतित ही समर्पित किया गया है मूल प्रतित वार्ड पार्स के पास है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा दिखाया गया कार्यवाही पंजी की छाया प्रतित एवं आरोपकर्ता द्वारा समर्पित कार्यवाही पंजी की छाया प्रतित का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि आरोपकर्ता द्वारा समर्पित कार्यवाही पंजी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा

4 पैसे

भारत
TWENTYFIVE PAISE


4

30
28

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 7 =		

समीर्पित किया गया कार्यवाही पंजी में भिन्नता है। दोनों में कहीं भी मेल नहीं खाता है जिसके आलोक में इसकार्यालय के पत्रांक-96 दिनांक 25.01.10 द्वारा वार्ड पार्स नगर पंचायत वार्ड नं०-14 को सूचना निर्गत करते हुए चयन से संबंधित कार्यवाही पंजी में ~~भयानक/हे/पंजी/पत्र~~ की मूल प्रति की मांग की गई। वार्ड पार्स द्वारा एक आवेदन समीर्पित कर निवेदन किया गया कि आवश्यक कार्य से बाहर हूँ अतएव अगली निर्धारित तिथि को वस्तु निश्चित अवसर परा दिया जायेगा। अगली निर्धारित तिथि दिनांक 19.4.2010 को वार्ड पार्स नगर पंचायत वार्ड नं०-14 उपस्थित होकर एक शपथ-पत्र समीर्पित किया, जिसमें अंकित किया है कि आरोपकर्ता ज्युटी कुमारी द्वारा आत्मवाड़ी केन्द्र पंचगीडिया वार्ड नं०-14 के आत्मवाड़ी सेविका पद हेतु कोई आवेदन समीर्पित नहीं किया गया। आरोपकर्ता द्वारा सेविका पद हेतु आवेदन समीर्पित किया जाता एवं आम सभी में इनके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाता तो इसका विरोधतुरंत आम सभी में ही करना चाहिए या एवं इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देनी चाहिए। जो न कि काफी अंतराल के बाद आरोप समीर्पित किया जाता। चयन से संबंधित सभी प्रकार के पंजी सर्वकारगत

1/



पूँ पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

5

31


29

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 10 =		

की मूल प्रति मेरे पास सुरक्षित हो एवं छाया प्रति बालीविकास परियोजना कार्यालय मुरलीगंज को तमर्पित किया गया था ।

अस्त2008 में आई प्रत्यक्षी बाद के कारण सभी मूल पंजी एवं कागजात नष्ट हो गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय में तमर्पित पंजी एवं कागजात की छाया प्रति को अभिप्रमाणित कर श्रीमान् के अवलोकन हेतु तमर्पित कर रहा हूँ जो सत्य एवं सही है। आरोपकर्ता द्वारा जो कार्यवाही एवं अन्य कागजात की छाया प्रति श्रीमान् को तमर्पित किया गया है वह कदा तीसरा था है एवं पिछा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है इसका कोई ठोस सबूत आरोपकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

उभय पक्षों के सुनने एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरलीगंज का प्रतिवेदन वार्ड पार्सल नगर पंचायत वार्ड नं0-14 द्वारा तमर्पित शपथपत्र एवं अभिप्रमाणित कार्यवाही पंजी तथा अन्य कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपकर्ता जिस कार्यवाही पंजी एवं अन्य कागजात की छाया प्रति प्रस्तुत की है उससे चयनित तीसरा का मेधा कृमादि प्रमाण है एवं प्रस्तुत कोई भी कृत प्राप्तिके- 702 है तथा द्वारा मेधा कृमादि- पर आरोपकर्ता का नाम






32
30

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= =		

अंकित है जबकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरली गंज एवं वार्ड पार्स नगर पंचायत वार्ड नं०- 14 द्वारा जो कार्यवाही पंजी एवं अन्य कागजात तमोर्पित किया गया है उसमें आरोपकर्ता का कोई कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही तैयार मेधा सूची में आरोपकर्ता के आवेदन का कोई जिक्र किया गया है साथ ही आरोपकर्ता जो कार्यवाही पंजी एवं अन्य कागजात को छाया प्रीत तमोर्पित किया गया है इसकी सत्यता के संबंध में कोई ज्ञेय एवं कारगर सूचित तमोर्पित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आरोपकर्ता अपना दावा प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। अतः आरोपकर्ता द्वारा तमोर्पित कार्यवाही पंजी को छाया प्रीत के सत्यता पर प्रश्न खिंचा जाता है। ऐसी परिस्थिति में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरली गंज एवं वार्ड पार्स नं०-14 द्वारा तमोर्पित कार्यवाही पंजी एवं वार्ड पार्स मुरली गंज वार्ड नं०-14 द्वारा तमोर्पित कार्यवाही पंजी के आवेदन से स्पष्ट होता है कि आरोपकर्ता द्वारा न तो कोई आवेदन जमा करा हेतु किया गया और न ही आरोपकर्ता को तैयार मेधा सूची में कोई ज्ञान



(Handwritten signature)

25 पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

7

33

प्रतिनिधि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिनिधि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिनिधि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 12 =		

31

अर्शोक्त है। इस प्रकार आरोप कर्ता के आरोप को तद्विरोध मानते हुए चयन समिति द्वारा चयनित सेविका मानती कुमारी के चयन को यथावत रखा जाता है।

इसकी सूचना तभी संबंधित को दी जाय।

20/4-33पष्ट


19.4.10

मि. प्रो. राम पदाध्यायी,
 मधेपुरा।

Krishna K. Singh
 26/5/10

Krishna K. Singh
 26/5/10

Om K. Singh
 26/5/10



1
34

Annexure - 8

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
14060 19/7/11	23/7/11	23/7/11	28/7/11	26/7/11


32

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, मधेपुरा ।

विधिवत आंगनवाड़ी सेविका-01/11

कुमारी ब्युटि बनाम मानती कुमारी
आदेश
=====

सभी अभिलेखों को देखने से यह स्पष्ट है कि आवेदिका ब्युटि कुमारी को जान कर अनुपस्थित दिखाकर उनका चयन नहीं किया गया है। चयन समिति की कार्यवाही भी नष्ट कर दी गई है। उप-विभागाध्यक्ष का कार्य प्रतिकेदन भी वहीं दर्शाता है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया नये तरह से शुरू की जाए। चयनित सेविका को चयन मुक्त किया जाता है।



ह/अ स्पष्ट
14/7

पैसे

भारत
TWENTYFIVE PAISE

2
35
33

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 2 =		

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा
आदेश

सुनवाई के समय उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान् अधिष्ठाता को सुना । मामला मुरलीगंज नगरपालिका के वार्ड नं०-14 में टोला पंचगछिया के आंगनवाड़ी केन्द्र पर तैवका के कयन में बरती गई अनियमितता से संबंधित है । उभय पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात् अधिलेख आदेश पर रखा गया ।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अपरोक्ष से ज्ञात होता है कि वादी ब्युटी कुमारी ने कयन समिति द्वारा तैर गइ निर्णय एवंमानती कुमारी को तैवका के पद पर कयन से विशुद्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू० नै०सी०सी०- 14132/2009 ब्युटी कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य से संबंधित मागशा दाखिल किया था, जिसमें दिनांक 9.11.2009 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादी द्वारा दिनांक 4.12.2009 को अभ्यावेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा ने अपने पत्रांक 421 दिनांक 19.4.2010 के द्वारा वादी के आरोप को संदिग्ध मानते हुए कयन समिति



/



3
36

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 3 =		

34

द्वारा चयनित सेविका मानती कुमारी के चयनको यथावत रखा गया । पुनः
वादी ब्युटी कुमारी ने दिनांक 19.4.2010 को पारित आदेश से विक्षुब्ध
होकर अधोहस्ताक्षरीके न्यायालय में दिनांक 15.5.10 को विविध वाद संख्या-
01/10 अमील आवेदन दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए वादी के
आवेदन को अंगीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई । प्रतिवादी
को नोटिसा निर्गत करते हुए अपना- अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु
आदेश निर्गत किया गया, जिसके आलोक में दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत
किया ।



वादी का क्लमा है कि प्रतिवादी मानती कुमारी का चयन संस्कृत
शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मध्यमा परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर किस
जाने , मध्यमा अंक पत्र का सत्यापन नहीं कराए जाने चयन समिति द्वारा
चयन कार्यवाही पंजी में फेरबदल करने , वादी को अनुपस्थित करार दिए
जाने एवं जिला प्रोग्राम पदाध्यक्षरी, मधेपुरा द्वारा न्याय संगत निर्णय नहीं

पैसे



TWENTYFIVE PAISE

4
37
35

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 4 =		

लिख जाने को चुनौती देते हुए चयन रद्द करने की याचना की है।

दूसरी तरफ प्रतिवादी मानती कुमारी काकला है कि वादी ब्युटी कुमारी सेविका पद के चयन के लिए उम्मीदवार नहीं थी और न ही आवेदन ही दी थी। अंक पत्र सत्यापन कराए जाने की बात झूठी है। कार्यवाही पंजी में हेरा फेरी लिख जाने की बात को अतः अकारण देते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिका-
-री, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश को तही मानते हुए प्रतिवादी के आरोप आवेदन को निरस्त करने का निवेदन की है।

उक्त पक्ष से प्राप्त साक्ष्य एवं अभिलेख में संलग्न जागृताओं के आधार पर उल्लेखित तथ्यों को सम्यक जांचकर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश उप चिकात आयुक्त, मधेपुरा को दिया गया। उन्होंने अपने पत्रांक 229/गो०, दिनांक- 3-02-2011 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि- "ब्युटी कुमारी का दावा सही है। चयन समिति के समक्ष यह उपस्थित थी, परन्तु उन्हें अनुपस्थित दिखाया गया है। अतः उक्त चयन को रद्द कर
कु: नये तरीके से चयन की पूरी प्रक्रिया अगला से सेविका का चयन पूरी प्रकार- प्रचार कर कराने का आदेश दिया जाना चाहिए।"

/ (Signature)

पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

38

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
		= 5 =		

36

दोनों पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न साक्ष्य, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश एवं उप-विभागाध्यक्ष, मधेपुरा द्वारा समर्पित जांच प्रीतवेदनका संगोपान अध्ययन करनेके उपरांत स्पष्ट होत है कि वादी ब्यूटी कुमारी को जानबूझकर अनुपस्थित दिखाकर उसका चयन नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि वार्ड पार्सद द्वारा मूल चयन कार्यवाही पंजी जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं कराए जाने से होती है। सेवा प्रतीत होता है कि चयन कार्यवाही पंजी जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं कराए जाने से होती है। सेवा प्रतीत होता है कि चयन कार्यवाही पंजी जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं कराए जाने से होती है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुराको निर्देश किया जाता है कि वे अपनी हेड-रेड में नगर पंचायत सुरलीगंज के वार्ड नं०-14 जोका पंजीख्याक के आग्नपाटी केन्द्र में सीविका का चयन नयेतारे सेपारथ करे। इस निर्देश के ताउ पर्यन्त सीविका आगती कुमारी को चयन मुक्त किया जाता है।

इस तरह उक्त वाद को निष्पादित करते हुए अभिलेख में जांच पदाधिकारी तथा पदाधिकारी को अवगत करावे।

Krishna Kr. Singh
26/3/14

Krishna Kr. Singh
26/3/14

Krishna Kr. Singh
26/3/14

14-अप्रैल
जिला स्टा-मधेपुरा जिला प्रोग्राम,
मधेपुरा

14/7



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
Ex 20	05/08/2011	08/08/2011	09/8/2011	09/08/2011

Court of the Commissioner,
Koshi Division, Saharsa.
Misc. appeal No. 53/2011.
Manti Kumari-----Appellant.
versus
Bihar ^{State} ~~sarkar~~ and others -----Respondent.

Order.

26.7.11. put up before Commissioner on 04.08.2011.

sd/ illegible.
Secy to Commissioner.

4.8.2011.

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
Perused the order of the D.M. which is logical and well analyzed. The matter was adindicated by DPO , thereby the D.M. The D.M. also got the DDC to enquire and submit a report. The D.M. ~~ix~~ in his exhaustive order dealt the DDC's report also. There is no need to interfere with the D.M's order.

Case not admitted.

sd/ illegible.

Commissioner.
Koshi Division, Saharsa.



समाधान प्रत्याशा
33/8/2011
3/8/2011
अभि...
अधुक्त कार्यालय
क... महरसा
... 16...

16
38

सेवा में,

निदेशक, आई०सी०डी०एस०

बिहार सरकार (पटना)

विषय :- माननीय पटना उच्च न्यायालय के पारित आदेश रिट याचिका संख्या सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-14378 /2011 में दिनांक-05.10.2012 के आदेश के आलोक में प्रतिवेदन।

महाशय,

सेवा में निवेदन है कि मेरी नियुक्ति आंगन बाड़ी सेविका के पद पर नगर पंचायत मुरली गंज वार्ड सं०-14 केन्द्र पंचगछिया, जिला-मधेपुरा में सारे नियम कानून को पालन करते हुए 21.6.2007 को हुई।

आम सभा स्थल प्राथमिक विद्यालय पंचगछिया में हुई जिसे स्वीकृत किया गया एवं मैं लगातार 14.7.2011 तक कार्य किया। मेरा कार्यकाल के समय में पदाधिकारी के पास कोई शिकायत नहीं हुयी। निवेदन पूर्वक यह कहना चाहूंगी कि मैंने लोक सूचना अधिकार के अन्तर्गत नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की पंजी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरली गंज कार्यालय से ली थी। जिसमें दर्शाया गया है कि विपक्षी कुमारी ब्युटी न तो आम सभा में उपस्थित थी न ही उसका कोई आवेदन व इसके बाबजूद मेरे आवेदन पर माननीय पदाधिकारी गण के द्वारा विधि संगत आदेश नहीं प्राप्त किया गया।

सुनियोजित शाजिश के तहत विपक्षी से मिलकर मेरी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया एवं किसी प्रकार का स्पष्टीकरण हमसे नहीं पूछा गया तब मैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा एवं माननीय आयुक्त (कमीश्नर) सहरसा को भी प्रतिवेदन दिया, लेकिन अपने स्तर से भी विधिवत कारवाई नहीं करते हुए मेरे आवेदन

16/10/12

को निरस्त कर दिया, जिससे झूठ होकर मैं पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय वाद को समाप्त करते हुए श्रीमान् के यहाँ आने का आदेश दिए।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आलोक में मेरे आवेदन सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मेरी ~~विधि~~ सेविका के पद पर मुरलीगंज वार्ड नं०-14, केन्द्र संख्या-13 केन्द्र पंचगछिया का अनुमति प्रदान की जाय।

इसके लिए मैं श्रीमान् का आभारी रहूँगी।

आपकी विश्वासभाजन

मान्ती कुमारी
16-10-2012

मानती कुमार

पति - अरविन्द कुमार यादव

नगर पंचायत मुरलीगंज

थाना + पोस्ट - मुरलीगंज

जिला - मधेपुरा

अनुलग्नक :-

1. माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति।